

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 283/2025

1. हंससिंह पुत्र श्यामसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

1. गुरमेल सिंह पुत्र भूचरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2. सुखदेवसिंह पुत्र भूचरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. बलवन्त सिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4. जगराज सिंह उर्फ जगदेवसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 11/8/21


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील सुखवीरसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादी हंससिंह को प्राप्त आराजी चकनं० 6 एनडीआर के खाता सं० 25/25 में कुल 1.764 है० में प्रतिवादीसं० 1 गुरमेलसिंह का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीसं० 2 सुखदेवसिंह का 1/12 हिस्सा में से 0.253 है० तथा प्रतिवादीसं० 3 बलवन्तसिंह के 1/6 हिस्सा में से 0.253 है०, प्रतिवादीसं० 4 जगराज सिंह उर्फ जगदेवसिंह के 1/6 हिस्सा में से 0.253 है०

ख. चकनं० 14 एसडीएस तहसील सादुलशहर के खाता सं० 60/60 में अंकित कुल 5.313 है० आराजी में से वादी हंससिंह के 2/21 हिस्सा में से प्रतिवादीसं० 1 गुरमेलसिंह व प्रतिवादीसं० 2 सुखदेवसिंह को ब०हि०ब० 0.253 है०, प्रतिवादीसं० 3 बलवन्तसिंह को 0.253 है०, उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 6 एनडीआर के खाता सं० 25/25 में से प्रतिवादीसं० 1 ता 4 का हिस्सा व चकनं० 14 एसडीएस के खाता सं० 60/60 में से वादी हंससिंह का नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी/सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं

अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी

जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कालक्टर टिब्बी।